न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 172/2019 निर्णय दिनांकः– 26-12-2024
(जीसीएमएस संख्या 2019/00263)

1. धन्नी देवी पत्नी स्व मुखराम जाति जाट निवासी रामडा तहसील पूगल जिला बीकानेर।
2. बीरबलराम पुत्र स्व मुखराम जाति जाट निवासी रामडा तहसील पूगल जिला बीकानेर।
3. नानूराम पुत्र स्व मुखराम जाति जाट निवासी रामडा तहसील पूगल जिला बीकानेर।
4. हंसराज पुत्र स्व मुखराम जाति जाट निवासी रामडा तहसील पूगल जिला बीकानेर।
5. बाबूलाल पुत्र स्व मुखराम जाति जाट निवासी रामडा तहसील पूगल जिला बीकानेर।
6. मूलाराम पुत्र स्व मुखराम जाति जाट निवासी रामडा तहसील पूगल जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. गोपीराम पुत्र मालूराम जाति जाट निवासी चक 2 एल एम तहसील पूगल जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार पूगल।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 10–11–2017
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री सुमेरदान बीठू, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
2. श्री मिलापचन्द धत्तरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के आदेश दिनांक 10–11–2017 जिसके द्वारा स्मालपेच आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया, के विरूद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट को बार–बार रूक–रूक कर आवाजे लगवाई गई किन्तु वे अनुपस्थित रहे। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मीमो को बहस का आधार मानकर अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

3. प्रस्तुत प्रकरण में अपील मीमो में अपीलांट द्वारा कथन किया है कि अपीलांट के नाम से चक 2 एलएम के मुरब्बा नम्बर 202/48 में किला नम्बर 10 ता 14, 17, 18, 20, 24 एवं 25 खातेदारी दर्ज है और मुरब्बा नम्बर 202/40 के किला नम्बर 15, 16 व 25 की 2 बीघा 18 बिस्वा अपीलांट के कब्जा काश्त में है। वादग्रस्त भूमि चक 2 एल एम के मुरब्बा नम्बर 202/40 के किला नम्बर 15, 16 व 25/2 की 2 बीघा 18 बिस्वा कमाण्ड भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बतौर स्मालपेच आवंटन किया गया है।

उन्होनें आगे कथित किया है कि वादगत भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि के चिपती भूमि स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आवेदन पर अपीलांट को बिना नोटिस दिये और सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश द्वारा वादगत भूमि का

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कर दिया है। विवादित आवंटन करने से पूर्व पटवारी हल्का की रिपोर्ट में जो नजरी नक्शा पेश किया गया है उसमें अपीलांट की खातेदारी भूमि वादगत भूमि के चिपते ही स्थित होने का कथन किया गया है। अदालत मातहत ने उक्त वादगत भूमि के समीपस्थ अन्य काश्तकारों को नोटिस दिया है जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के सगे भाई है। अदालत मातहत ने अपीलांट को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया जिससे आक्षेपित आदेश निरस्त योग्य होने से उपखण्ड अधिकारी, पूगल का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

उन्होंने मियांद पर अभिलिखित किया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सूचना के रकबा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित कर दिया गया। उक्त आदेश एकतरफा आदेश की श्रेणी में आता है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

4\. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि चक 2 एल एम के मुरब्बा नम्बर 202/40 में स्थित होने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा इसी मुरब्बे में स्थित अराजीराज रकबे के स्मालपेच में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने के फलस्वरूप सभी संबंधित पात्र काश्तकारों की वरियता बनाई गई। वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अन्य कोई आवेदन पत्र जैरकार नहीं होने पर तथा वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के मुरब्बें में ही निहित होने पर अदालत मातहत द्वारा राजस्थान उपनिवेशन आवंटन नियम 1975 के नियम 14 के तहत वादगत् भूमि का आवंटन बतौर स्मालपेच किया गया है। वादगत् भूमि के आवंटन की प्रथम वरियता की तहसीलदार द्वारा अनुशंसा की गई है व रकबा अन्य किसी प्रकार से विवादित नहीं होने व स्थगन आदेश नहीं होने की टिप्पणी भी अपनी रिपोर्ट में अंकित की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या के धारण की भूमि वादगत् मुरब्बें में ही निहित है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट की भूमि वादगत् भूमि पर रेस्पोडेन्ट की वरियता प्रथम मानते हुए व केवल मात्र उन्हीं का आवेदन होने के कारण वादगत् भूमि का

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आवंटन पश्चात् आवंटन नियमों के तहत निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है तथा आवंटन आदेश भी जारी किया जा चुका है। आराजी जैर आवंटन के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जे काश्त में चली आ रही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि उसी मुरब्बे में स्थित है जिसमें वादगत भूमि स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसी मुरब्बे के अन्य काश्तकारों को जरिये नोटिस सूचित किया गया है एवं उसी मुरब्बे के अन्य काश्तकारों द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को भूमि आवंटन करने हेतु अपनी सहमति प्रस्तुत की है। लिहाजा अपीलांट अब इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने का कोई पर्याप्त कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज योग्य है। रेस्पोडेन्ट द्वारा आवंटन पश्चात् निर्धारित तमाम राशि खजानाराज में जमा करवाते हुए वर्तमान समय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया आवंटन विधि सम्मत है। अतः अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु के साथ–साथ गुणावगुण पर खारिज फरमाई जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में सर्वप्रथम जहॉ तक वादग्रस्त भूमि के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन किये जाने का प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि आवंटन नियम 1975 के नियम 14 (1) में स्पष्ट प्रावधान है कि ''सरकारी भूमि का छोटा टुकड़ा ऐसे भूधृति काश्तकार जिसकी भूधृति भूमि ऐसे टुकड़ें से लगी गई है, को आवंटित की जायेगी। इसी कम में नियम 14 (2) में प्रावधान है कि उसी टुकड़ें के आवंटन करने के लिये एक से

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अधिक काश्तकार होने की स्थिति में आवंटन उसी मुरब्बें के काश्तकार को किया जायेगा। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 गोपीराम ने उसी मुरब्बें की भूमि का भूधृति काश्तकार होने के कारण स्मालपेच आवंटन के लिये वर्ष 2015 को आवेदन किया गया। जिस पर पटवारी ने उसी मुरब्बे तथा पड़ौसी मुरब्बें के काश्तकारों का विवरण पेश किया तथा दिनांक 10–11–2017 को आवेदक गोपीराम के पक्ष में आवंटन कर दिया गया तथा आवंटन पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आवंटित रकबे की समस्त राशि खजानाराज में जमा करवाने के बाद आवंटन आदेश रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में जारी किया जा चुका है। लिहाजा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादगत भूमि का विधिवत आवंटी है।

प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 10–11–2017 के विरूद्व अपील दिनांक 14–10–2019 को करीब 2 वषे के विलम्ब से पेश की है। अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 19–07–2019 को हुई। उसके पश्चात अपीलांट द्वारा दिनांक 14–10–2019 को अपील प्रस्तुत की गई। अपीलांट द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया गया है कि सर्वप्रथम जानकारी के पश्चात अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उसके पश्चात प्रतिलिपि बाद तैयारी अपीलांट को प्रदान की गई लेकिन अपीलांट संख्या 1 बीमार हो गई जिससे अन्य अपीलांट्स भी उनकी तामीरदारी में लगे रहे। उसके पश्चात अपीलांट संख्या 1 के स्वस्थ होने पर प्रस्तुत अपील पेश की गई। मियांद प्रार्थना पत्र में अपीलांट द्वारा जो कारण अंकित किये है उनकी सत्यता हेतु अपीलांट ने किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। यदि यह भी मान लिया जाये कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 19–07–2019 को हुई थी फिर भी अपीलांट ने करीब 3 माह बाद अपील प्रस्तुत की गई। मियाद अधिनियम के अनुसार अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का प्रत्येक दिन का स्पष्टीकरण देना होगा। चूंकि अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब हेतु किसी प्रकार का कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। तथा अपीलांट ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि अपीलांट को सर्वप्रथम जानकारी

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

दिनांक 19–07–2019 को हुई थी उसके पश्चात भी अपीलांट द्वारा किये गये विलम्ब का कारण संतोषजनक नहीं होने से अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को दरकिनार नहीं किया जा सकता है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील मियांद बाहर होने के कारण मियांद के बिन्दु व गुणावगुण पर खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, पूगल का अपीलाधीन आदेश दिनांक 10–11–2017 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 26-12-2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर